तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5/2/25	पत्रावली पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी अन्य राजकार्य में व्यस्त हैं। अतः पत्रावली गतादेशानुसार दिनांक 6/3/25 को पेश हो।	
6/3/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी [illegible] उप० । [illegible] [illegible] पेश [illegible] कबूलनामा [illegible] खसरा नं. 2 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] राजस्थान [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] पत्रावली [illegible] [illegible] [illegible] दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी निवाई (टोंक)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– सुरेश कुमार हरसोलिया (RAS)

राजस्व वाद संख्या :– 166 / 2024

प्रविष्टि दिनांकः–14.6.2024

वादीगण :–

1. कैलाश पुत्र मूल्या जाति जाट निवासी ग्राम भांवती तहसील निवाई जिला टोंक
2. सत्यनारायण पुत्र मूल्य जाति जाट निवासी ग्राम भांवती तहसील निवाई जिला टोंक
3. कृष्ण पुत्र घासी जाति जाट निवासी ग्राम भांवती तहसील निवाई जिला टोंक
4. जगदीशनारायण पुत्र घासी जाति जाट निवासी ग्राम भांवती तहसील निवाई जिला टोंक
5. राजाराम पुत्र घासी जाति जाट निवासी ग्राम भांवती तहसील निवाई जिला टोंक
6. पूरणमल पुत्र घासी जाति जाट निवासी ग्राम भांवती तहसील निवाई जिला टोंक
7. पदमचन्द पुत्र घासी जाति जाट निवासी ग्राम भांवती तहसील निवाई जिला टोंक
8. गोकुल पुत्र घासी जाति जाट निवासी ग्राम भांवती तहसील निवाई जिला टोंक
9. गोविन्दा पुत्र काना जाति जाट निवासी ग्राम भांवती तहसील निवाई जिला टोंक

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. मुकेश पुत्र रामेश्वर जाति बैरवा निवासी ग्राम अलियाबाद तहसील निवाई जिला टोंक
2. प्रदीप गुप्ता पुत्र रतिराम गुप्ता जाति महाजन निवासी डी–58 गणेशराम पार्क अम्बाबाडी जयपुर
3. अनूपकुमार पुत्र मूलचन्द जटिया जाति जटिया निवासी 19 / 1 नेहनू नगर जटिया कॉलोनी वार्ड सं0 24 ब्यावर जिला अजमेर राज0
4. लालचन्द पुत्र जगन्नाथ जाति बैरवा निवासी ढाणी जुगलपुरा तहसील निवाई जिला टोंक
5. विशाल कुमार पुत्र लालचन्द जाति धोबी निवासी गली नं0 1 विजयनगर रोड ब्यावर जिला अजमेर
6. तहसीलदार टोंक

उपस्थित :–श्री रमेश कुमार शर्मा , अधिवक्ता वादी की ओर से।
श्री कौशल किशोर जाट, अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 2 की ओर से

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट बाबत प्रदान किये जाने रास्ता

निर्णय

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7, नियम 11 व धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता

दिनांक–......8/5/25

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी आवेदक द्वारा एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट बाबत प्रदान किये जाने रास्ता का न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत किया गया जिसमे अंकितानुसार प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 10 / 5, 10 / 210 / 90, 359, 360, वाके ग्राम भांवती तहसील निवाई जिला टोंक मे स्थित है जिसमे जाने के लिए मौके पर रास्ता चैनपुरा बाईपास से ललवाडी जाने वाली लिंक रोड से दक्षिण दिशा मे भूमि खसरा नंबर 8 / 5, 8 / 6, 9 / 6, 10 / 6 के पश्चिमी कोने पर ललवाडी लिंक रोड से 16 फिट चौडा व 1300 फिट लम्बा रास्ता मौके पर मोजूद है इस रास्ते के अतिरिक्त खसरानंबर 10 / 5 व आवेदकगण की अन्य भूमि लगवा स्थित है। प्रार्थी की भूमि के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नही है और ना ही रास्ता राजस्व शीट मे दर्ज है। अतः प्रार्थीगण की भूमि ख.न. 10 / 5 मे आने जाने के लिए खसरा नंबर 8 / 5, 8 / 6, 9 / 6, 10 / 6 के पश्चिमी कोने पर ललवाडी लिंक रोड से 16 फिट चौडा व 1300 फिट लम्बा रास्ता मौके पर मोजूद रास्ते को राजस्व शीट मे दर्ज करावे।

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

इसके पश्चात प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिवादी सं0 2 की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 प्रस्तुत किया जिसमे अंकितानुसार प्रार्थी द्वारा खसरा नंबर 10 / 6 वाके ग्राम भांवती के रास्ते के सबंध मे अनुतोष चाहा गया है लेकिन प्रार्थी की भूमि खसरा नंबर 10 / 6 खातेदारी भूमि नही होकर औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूमि है और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत कृषिभूमि मे से रास्ता दिये जाने का प्रावधान है। अतः आवेदक का आवेदन पत्र इसी स्तर पर खारिज योग्य है।

उक्त प्रार्थनापत्र के जवाब मे वादी जवाबदता द्वारा अंकित किया कि प्रार्थनापत्र गलत है भूमि ख.न. 10 / 5, 10 / 2, 10 / 90, 359, 360, वाके ग्राम भांवती मुताबिक जमाबंदी अनुसार रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार है तथा आवेदक की भूमि पर जाने जाने के लिए मौके पर रास्ता चैनपुरा बाईपास से ललवाडी जाने वाली लिंक रोड से दक्षिण दिशा मे भूमि खसरा नंबर 8 / 5, 8 / 6, 9 / 6, 10 / 6 के पश्चिमी कोने पर ललवाडी लिंक रोड से 16 फिट चौडा व 1300 फिट लम्बा रास्ता मौके पर मोजूद है इस रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी की भूमि के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नही है और इस रास्ते का उपयोग आवेदकगण अपने पूर्वजो के समय से ही करते आ रहे है। परन्तु अब अप्रार्थीगण उक्त रास्ते को बंद करने पर आमादा हैं। प्रार्थनापत्र गलत तथ्यो पर प्रस्तुत किया गया है जो खारिज योग्य है।

प्रकरण मे साक्ष्य दस्तावेज के रूप मे साक्ष्य दस्तावेज के रूप मे जमाबंदी , नक्शा ट्रेस आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

हमने प्रार्थनापत्र पर वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजो का अध्ययन किया। प्रार्थनापत्र के संलग्न जमाबंदी अनुसार खसरा नंबर 10 / 6 की किस्म औद्योगक प्रयोजनार्थ राजस्व रिकार्ड अनुसार दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ते को नजरी नक्शे अथवा नक्शा ट्रेस मे नही दर्शाया गया है जिसके अभाव मे प्रस्तावित रास्ते की स्थिति स्पष्ट नही हो पा रही है। आवेदक द्वारा रास्ते हेतु आवेदन पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रस्तुत किया गया है जिसके लिए उक्त धारा का भली भांती अवलोकन करना उचित हैं। फलतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 क के उक्त प्रावधान केवल खातेदारी भूमि के रास्ते के सबंध मे है। चूंकि प्रस्तुत प्रकरण मे भी प्रार्थी द्वारा रास्ता औद्योगिक प्रयोजनार्थ की भूमि मे से भी चाहा गया है अर्थात गै.मु. भूमि मे से रास्ता दिया जाना न्यायालय हाजा का अधिकार क्षेत्र प्रतीत नही होता है। इसके लिए पूर्व मे जिला स्तर से स्वीकृति आवश्यक हैं। इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थनापत्र सुखाचार के तथ्यों एवं परिपत्रो की शर्तो को भलीभांती साबित एवं पूरा नही करता है। आवेदक का आवेदन पत्र धारा 251 ए के प्रावधानो को धारित नही करने के कारण प्रार्थनापत्र चलने योग्य नही है। प्रस्तुत वाद विधि सम्मत प्रतीत नही होने के फलस्वरूप प्रार्थना पत्र ऑर्डर 7 रूल्स 11 सीपीसी स्वीकार कर, वादी का वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाना उचित है।

आदेश

प्रतिवादी सं0 2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7, नियम 11 व धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता स्वीकार किया जाकर वादी का वाद आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट बाबत प्रदान किये जाने सारहीन, भारहीन व विधि वर्जित होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशलशुमार होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 6/5/25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुरेश कुमार हरसोलिया)
उपखण्ड अधिकारी, निवाई